राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1708/2024

दशरथ परिहार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, संभाग, उदयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जिला उदयपुर।
5. अति. जिला कलेक्टर, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.04.2024
आदेश की दिनांक : 01.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. गोतम, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.08.2023 के द्वारा एक माह के लिये नवसृजित जिला कलेक्टर कार्यालय, सलूम्बर में कार्य व्यवस्थार्थ जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा लगाया गया था। संभागीय आयुक्त द्वारा एक माह की अवधि छः माह के लिये विस्तारित की गयी। अपीलार्थी ने दिनांक 14.08.2023 को जिला कलेक्टर कार्यालय सलूम्बर में अपनी उपस्थिति दी। छः माह की अवधि दिनांक 14.02.2024 को पूरी हो गयी। तत्पश्चात अपीलार्थी को पदोन्नति भी दिनांक 05.03.2024 को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रदान की जा चुकी है। अपीलार्थी के उपार्जित अवकाश में रहते हुए कार्य व्यवस्थार्थ अवधि पूरी हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 16.03.2024 को अपीलार्थी ने सीधे ही मूल पदस्थापन कार्यालय (जिला कलेक्टर कार्यालय, उदयपुर) में उपस्थिति दे दी, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा पत्र दिनांक 02.04.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अपनी उपस्थिति जिला कलेक्टर कार्यालय सलूम्बर में देने के

निर्देश दिये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की कार्य व्यवस्थार्थ अवधि पूरी हो चुकी है, उसके उपरान्त भी अपीलार्थी को जिला कलेक्टर कार्यालय सलूम्बर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिया जाना गलत है।

3. अपीलार्थी ने उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)